

8-2-2021 को पेश है।

08/02
2021

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अंतिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थी पक्ष द्वारा तलबी हेतु तलवाना पेश नहीं किया गया है तथा ना ही भूमिधारी तहसीलदार को पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र तलबी हेतु तलवाना पेश नहीं करने तथा भूमिधारी तहसीलदार को पक्षकार नहीं बनाए जाने के कारण एवं बार-बार ढावाज के उपरान्त भी उपास्थित नहीं होने के कारण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

08-02-2021

(सुरेश कुमार यादव)
उपरकण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

